न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

31/5/24

मु0न0:– 54/2022

उनवान:– भगतराम बनाम राधेश्याम वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 53 कुल रकवा 8.44 है0 मे सायलान 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के दावे मे प्रतिवादी न0 14 व 15 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात से गैरसायल न0 1 ता 13 का किसी प्रकार का कोई संबध नही है। विवादित आराजीयात सायलान व दावे के प्रतिवादीगण 14 व 15 के कब्जे काश्त की आराजी है। गैरसायलान सायलान की आरजी पर कब्जा करने की फिराक मे रहते है। व हैरान परेशान करते रहते है। सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्राईमाफेसी सायलान के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे साबित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.05.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाकर गैरसायला को पाबन्द फरमाया जावे।

गैरसायल न0 2 ता 4 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 1117 लगायत 1125 पर सायलान व गैरसायल न0 14 ,15 का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। बल्कि सही बात यह है कि ख0न0 1117 ता 1125 पर गैरसायलान न0 1 ता 4 के बुजुर्गान से करीब 43 वर्ष पूर्व से कब्जा है। चकबन्दी के समय सायलान एवं गैरसायल न0 14 ने गैरसायल न0 1 से बदलपत्र कर ग्राम कालवाडी की आराजी ख0न0 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 गैरसायल न0 1 को संभलाकर उसके बदले मे गैरसायल न0 1 से ख0न0 155, 156, 164 पर काबिज है। जिस पर मौके पर तारबन्दी हो रही है। ख0न0 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 सायलान का कोई कब्जा काश्त नही है।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम कालवाडी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता न0 51 मे दर्ज कुल किता 53 कुल रकवा 8.44 है0 मे सायलान 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे रामकिशोर पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/3, हरीराम पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/3 के खतोदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान वर्णित आराजीयात मे खातेदार काश्तकार दर्ज नही है। गैरयालान वकील ने जबाब व बहस मे प्रार्थना पत्र मे बदलपत्र का कथन किया है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे बदलपत्र साबित होता हो। सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ तकास्मा का दावा पेश किया है जिससे कब्जा साबित होना है। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.05.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात उभयपक्ष को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कालवाडी की आराजी ख0न0 1117/0.11, 1118/0.11, 1120/0.06, 1121/0.13, 1122/0.06, 1123/0.01, 1124/0.09, 1125/0.18 है0 मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक .05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

(... मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:17:04 IST
Reason: SelfAttested

टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी